



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 अग्रहायण 1942 (श10)
(सं0 पटना 964) पटना, शुक्रवार, 18 दिसम्बर 2020

okf.kT; &dj foHkx

अधिसूचना
18 दिसम्बर 2020

एस० ओ० 203, दिनांक 18 दिसम्बर 2020— बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 46 के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 111, दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 567, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी, सारणी के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, अर्थात्:-

“सारणी

क्रम संख्या	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त	नाम पद्धति संहिता के सामंजस्यपूर्ण प्रणाली के अंको की संख्या (एच एस एन कोड)
(1)	(2)	(3)
1.	पांच करोड़ रुपए तक	4
2.	पांच करोड़ रुपए से अधिक	6

बशर्ते कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका सकल आवर्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपए तक है, उक्त नियमावली के अधीन उसके द्वारा जारी किसी (अरिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों की

आपूर्ति के) कर बीजक में उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट एचएसएन कोड के अंकों की संख्या का उल्लेख करने के लिए बाध्य नहीं है।“

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6) 2364)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

18 दिसम्बर 2020

एस० ओ० 203, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6) 2364)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 18th December 2020

S.O. 203, Dated 18th December 2020— In exercise of the powers conferred by the first proviso to rule 46 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 111, dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 567, dated the 29th June, 2017, namely:—

In the said notification, with effect from the 01st day of April, 2021, for the Table, the following shall be substituted, namely,—

“Table

Serial Number	Aggregate Turnover in the preceding Financial Year	Number of Digits of Harmonised System of Nomenclature Code (HSN Code)
(1)	(2)	(3)
1.	Upto rupees five crores	4
2.	more than rupees five crores	6

Provided that a registered person having aggregate turnover up to five crores rupees in the previous financial year may not mention the number of digits of HSN Code, as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table in a tax invoice issued by him under the said rules in respect of supplies made to unregistered persons.”.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-6) 2364)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 964-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>